

पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

2018 का आपराधिक आवेदन (एसजे) संख्या-4802

वर्ष 2005 का थाना कांड संख्या 261 से उत्पन्न, थाना-चानन, जिला-लखीसराय

=====

मोहन यादव, पुत्र-स्वर्गीय सकल यादव, गाँव-इथारी, थाना-चानन, जिला-लखीसराय का निवासी।

..... अपीलार्थी/

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/

=====

के साथ

2018 का आपराधिक आवेदन (एस. जे.) सं. 4817

वर्ष 2005 का थाना कांड संख्या 261 से उत्पन्न, थाना-लखीसराय, जिला-लखीसराय

=====

अरविंद यादव, पुत्र-स्वर्गीय आनंदी यादव, गाँव के निवासी-मोहनपुर, थाना-चानन, जिला-लखीसराय

..... अपीलार्थी/

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/

=====

के साथ

2019 का आपराधिक आवेदन (एस. जे.) सं. 195

वर्ष 2005 का थाना कांड संख्या-261 से उत्पन्न, थाना-लखीसराय जिला-लखीसराय

=====

1. हरिहर यादव पुत्र-स्वर्गीय महाबीर यादव, निवासी गाँव-इथारी, थाना-चानन, जिला-लखीसराय
2. प्यारे यादव उर्फ प्यारे लाल यादव पुत्र-स्वर्गीय बाबू लाल यादव निवासी गाँव-इथारी, थाना-चानन, जिला-लखीसराय

..... अपीलार्थी/गण

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदातागण

=====

के साथ

**2019 का आपराधिक आवेदन (एस. जे.) सं. 1843**

वर्ष 2005 का थाना कांड संख्या-261 से उत्पन्न थाना-लखीसराय जिला-लखीसराय

=====

सोहन यादव पुत्र- स्वर्गीय सकल यादव निवासी गाँव-इथारी, थाना-चानन, जिला-लखीसराय के पुत्र हैं।

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदातागण

=====

सभी अपीलकर्ताओं पर एक ही समय में मुकदमा चला, लेकिन जब निर्णय सुनाया गया, तो एक अपीलकर्ता, सोहन यादव, अनुपस्थित थे। इसके परिणामस्वरूप, उनके

केस को अलग कर दिया गया और एक अलग निर्णय पारित किया गया। इसके बावजूद, साक्ष्य और निर्णय का परिणाम वही रहा। इसलिए, इन अपीलों को एक साथ इस सामान्य निर्णय के माध्यम से निपटाया जा रहा है।

ये अपीलें 03.12.2018 और 05.04.2019 को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट-II, लखीसराय द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसलों और सजा के आदेशों के खिलाफ हैं, जो लखीसराय (चानन) थाना कांड केस संख्या 261 वर्ष 2005 से उत्पन्न हुईं। अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147, 148, 323, 324, 341, और 307 के साथ धारा 149 के तहत दोषी ठहराया गया और निम्नलिखित सजा सुनाई गई:

- धारा 147 IPC के तहत 2 वर्षों की कठोर कारावास
- धारा 148 IPC के तहत 3 वर्षों की कठोर कारावास
- धारा 323 IPC के तहत 1 वर्ष की कठोर कारावास
- धारा 324 IPC के तहत 3 वर्षों की कठोर कारावास
- धारा 341 IPC के तहत 1 महीने की साधारण कारावास
- धारा 307 IPC के साथ धारा 149 IPC के तहत 5 वर्षों की कठोर कारावास
- 2,000/- रुपये का जुर्माना और जुर्माना न देने पर 15 दिनों की साधारण कारावास

अभियोजन की कहानी: -- 19.08.2005 को, सूचक मुकेश कुमार और उनके गाँववाले/ग्रामीण (रघुनंदन सिंह, व्यास सिंह, शंभू सिंह, रामबरण सिंह, भूतकन सिंह, सलई सिंह, और परमहन सिंह) भगवती पूजा करने के बाद 'जलप्पा स्थान' से लौट रहे थे। मोरबे नदी के पास, उन्होंने पूर्व विधायक प्रहलाद यादव द्वारा नदी किनारे रेत की बोरियों को देखा। प्रहलाद यादव ने उनसे उनके गाँव के बारे में पूछा, और जब उन्होंने बताया कि वे रामपुर गाँव से हैं, तो उन्होंने कथित रूप से उन्हें मारने का आदेश दिया। आरोपी और उनके सहयोगियों ने, जो बंदूक, लाठी, भाला एवं अन्य हथियारों से लैस थे, पीड़ितों को घेर लिया और उन पर हमला किया।

एक एफआईआर सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप लखीसराय (चानन) थाना कांड संख्या 261 वर्ष 2005 दर्ज किया गया।

अनुसंधान के बाद, अपीलकर्ताओं पर IPC की धारा 147, 148, 323, 324, 341, और 307 के साथ धारा 149 के तहत आरोप लगाए गए। अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों को पेश किया और कई दस्तावेज, जिसमें चोटों की रिपोर्ट शामिल थी, प्रस्तुत किए।

अपीलकर्ताओं की ओर से तर्कः--

13. श्री अंसुल, जो मोहन यादव और सोहन यादव का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने तर्क किया कि:

- मुख्य आरोपी, प्रहलाद यादव, पर मुकदमा नहीं चलाया गया।
- अभियोजन पक्ष ने एफआईआर में उल्लिखित सभी गवाहों को पेश नहीं किया।
- गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण सुधार हुए।
- चोटें सतही थीं, जो घातक हथियारों के उपयोग के विपरीत हैं।
- एफआईआर में विसंगतियाँ और चिकित्सा साक्ष्य में असंगतियाँ।

14. श्री अजय कुमार ठाकुर, जो हरिहर यादव और प्यारे यादव का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने तर्क किया कि:

- चिकित्सा साक्ष्य ने दृश्य साक्ष्य का समर्थन नहीं किया।
- अपीलकर्ताओं की वृद्धावस्था ने हमले में उनकी भागीदारी को असंभावित बना दिया।
- चोटें मामूली थीं।
- गवाहों के बयानों में समय, स्थान, और घटना के तरीके को लेकर विसंगतियाँ थीं।

15. श्री करनदीप कुमार, जो अरविंद यादव का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने तर्क किया कि:

- सूचक की गवाही असंगत थी, और आरोपियों की संख्या में विसंगति थी।
- प्रमुख आरोपी पर मुकदमा नहीं चलाया गया।
- अरविंद यादव के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं थे।

राज्य और सूचक की ओर से तर्क:-

16. राज्य के एपीपी (सहायक लोक अभियोजक) और सूचक के वकील ने तर्क किया कि:

- गवाहों ने सुसंगत और विश्वसनीय गवाही प्रदान की।
- चिकित्सा साक्ष्य ने वर्णित चोटों का समर्थन किया।
- गवाहों के बयानों में छोटी-छोटी विसंगतियाँ स्वाभाविक हैं और केस की संपूर्ण विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करतीं।

अभियोजन पक्ष कथित अपराधों के लिए अवैध सभा के गठन को साबित करने में विफल रहा। घटना अचानक उकसावे की प्रतिक्रिया प्रतीत होती है न कि पूर्व-निर्धारित हमला। अपीलकर्ताओं की व्यक्तिगत कृत्यों के बारे में साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं था। गवाहों ने विरोधाभासी विवरण प्रदान किए और चिकित्सा साक्ष्य पूरी तरह से चोटों का समर्थन नहीं करता था।

स्पष्ट साक्ष्य की कमी और गवाहों की गवाही में असंगतियों के कारण, अभियोजन पक्ष मामले में अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

इस प्रकार, अपीलों को स्वीकृत किया जाता है। अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया जाता है। अपीलकर्ताओं को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है। जमानत बांड, यदि कोई हो, रद्द किए जाते हैं।

अतः -- अपीलकर्ताओं को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं।

सभी अपीलें स्वीकृत की जाती हैं।

पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

2018 का आपराधिक आवेदन (एसजे) संख्या-4802

वर्ष 2005 का थाना कांड संख्या 261 से उत्पन्न, थाना-चानन, जिला-लखीसराय

मोहन यादव, पुत्र-स्वर्गीय सकल यादव, गाँव-इथारी, थाना-चानन, जिला-लखीसराय का निवासी।

..... अपीलार्थी/

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/

के साथ

2018 का आपराधिक आवेदन (एस. जे.) सं. 4817

वर्ष 2005 का थाना कांड संख्या 261 से उत्पन्न, थाना-लखीसराय, जिला-लखीसराय

अरविंद यादव, पुत्र-स्वर्गीय आनंदी यादव, गाँव के निवासी-मोहनपुर, थाना-चानन, जिला-लखीसराय

..... अपीलार्थी/

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/

के साथ

2019 का आपराधिक आवेदन (एस. जे.) सं. 195

वर्ष 2005 का थाना कांड संख्या-261 से उत्पन्न, थाना-लखीसराय जिला-लखीसराय

=====

1. हरिहर यादव पुत्र-स्वर्गीय महाबीर यादव, निवासी गाँव-इथारी, थाना-चानन, जिला-लखीसराय
2. प्यारे यादव उर्फ प्यारे लाल यादव पुत्र-स्वर्गीय बाबू लाल यादव निवासी गाँव-इथारी, थाना-चानन, जिला-लखीसराय

..... अपीलार्थी/गण

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदातागण

=====

के साथ

### 2019 का आपराधिक आवेदन (एस. जे.) सं. 1843

वर्ष 2005 का थाना कांड संख्या-261 से उत्पन्न थाना-लखीसराय जिला-लखीसराय

=====

सोहन यादव पुत्र- स्वर्गीय सकल यादव निवासी गाँव-इथारी, थाना-चानन, जिला-लखीसराय के पुत्र हैं।

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदातागण

=====

#### उपस्थिति:

(2018 के आपराधिक आवेदन (एस. जे.) संख्या 4802 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री मो. इरशाद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री अंसुल, अधिवक्ता  
 राज्य के अधिवक्ता : श्रीमती अनीता कुमारी सिंह, एपीपी/सहायक नोक  
 अभियोजक

(2018 के आपराधिक आवेदन (एस.जे.) संख्या-4817 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री करनदीप कुमार, अधिवक्ता  
 राज्य के अधिवक्ता : श्री सैयद अशफाक अहमद, एपीपी/सहायक नोक  
 अभियोजक

(2019 के आपराधिक आवेदन (एस.जे.) संख्या- 195, में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता  
 : श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता,  
 राज्य के अधिवक्ता : श्री ए.एम.पी. मेहता, एपीपी (सहायक नोक अभियोजक)  
 सूचना देने वाले के लिए : श्री सच्चिदानंद चौधरी, अधिवक्ता  
 : श्री परमानंद प्रसाद नारायण साही, अधिवक्ता

(2019 की आपराधिक अपील (एस. जे.) संख्या 1843 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री मो. इरशाद, अधिवक्ता  
 : श्री अमित कुमार सिंह, अधिवक्ता  
 राज्य के अधिवक्ता : श्री जेयौल होदा, एपीपी (सहायक नोक अभियोजक)

=====

**कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह**

**मौखिक निर्णय**

**तारीख:18-03-2024**

सभी अपीलार्थियों ने संयुक्त रूप से मुकदमे का सामना किया, लेकिन निर्णय की घोषणा के समय अपीलार्थी सोहन यादव अनुपस्थित हो गए, इसलिए निचली अदालत ने उनके मामले को अलग कर दिया और उनके मामले में अलग निर्णय पारित किया

गया, लेकिन साक्ष्य के साथ-साथ निर्णय का परिणाम भी वही रहा, इसलिए इन सभी अपीलों पर एक समान निर्णय द्वारा एक साथ निर्णय लिया जा रहा है।

2. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों और राज्य के लिए विद्वान एपीपी को सुना।

3. ये अपीलें विद्वत फास्ट ट्रैक कोर्ट-II, लखीसराय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश दिनांक 03.12.2018 और 05.04.2019 के निर्णयों के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसमें 2011 का सत्र परीक्षण मामला संख्या 191/2018 का परीक्षण संख्या 367 और 2011 का सत्र परीक्षण मामला संख्या 191A परीक्षण संख्या 422, जो 2005 के लखीसराय (चानन) थाना मामला संख्या 261 से उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा और जिसके तहत अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,323,324,341 और 307 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') और आई. पी. सी. की धारा 147 के तहत दो साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, आई. पी. सी. की धारा 148 के तहत तीन साल, आई. पी. सी. की धारा 323 के तहत एक साल, आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत तीन साल, आई. पी. सी. की धारा 341 के तहत एक महीने और आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पठित धारा 307 के तहत पांच साल 2000/- रुपये जुर्माने के साथ प्रत्येक और जुर्माने का भुगतान न करने पर उन्हें पंद्रह दिनों के साधारण कारावास से गुजरने का निर्देश दिया गया है।

#### **अभियोजन की कहानी:-**

4. अभियोजन पक्ष की कहानी का सार यह है कि 19.08.2005 को मुखबिर मुकेश कुमार और उनके सह-ग्रामीण रघुनाथन सिंह, व्यास सिंह, शंभू सिंह, रामबरन सिंह, भूतकन सिंह, सलाई सिंह और परमहंस सिंह भगवती पूजा करने के बाद 'जलप्पा स्थान'

से लौट रहे थे और जब वे मोर्बे नदी के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पूर्व विधायक प्रहलाद यादव के नेतृत्व में सौ से अधिक लोग मोर्बे नदी में रेत के थैले डाल रहे थे और उसके बाद, उन्हें और उनके सह-ग्रामीणों को प्रहलाद यादव ने सूचित करने के लिए कहा। उनके गाँव को तब उनके द्वारा सूचित किया गया कि वे रामपुर गाँव के थे और पूजा करने के बाद 'जलप्पा स्थान' से लौट रहे थे। इसके बाद, मुखबिर के अनुसार, उक्त प्रहलाद यादव ने मुखबिर और उसके साथियों को मारने का आदेश दिया और उक्त स्थिति को देखते हुए उसने और उसके सह-ग्रामीणों ने भागने की कोशिश की, लेकिन इथारी और मोहनपुर गाँव के एकत्रित लोगों ने उनका पीछा किया और वे अपने साथ बंदूक, लाठी, भाला, गरसा और पिस्तौल ले जा रहे थे और उन्होंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। इसके बाद, अभियुक्त व्यक्तियों ने 'सीतारामपुर बहियार' में मुखबिर और उसके सह-ग्रामीणों को घेर लिया और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। मुखबिर द्वारा आगे यह आरोप लगाया गया कि अभियुक्त/अपीलार्थी हरिहर यादव ने गरसा के माध्यम से रघुनाथन सिंह के सिर पर हमला किया और उनकी सोने की चेन और नकदी छीन ली और अभियुक्त/अपीलार्थी प्यारेलाल यादव ने उनके सिर पर गरसा से हमला किया जिसके परिणामस्वरूप वह नीचे गिर गया और अभियुक्त शिवनाथ यादव ने नवल किशोर सिंह के कंधे पर बंदूक के बट वाले हिस्से से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उनके कंधे की हड्डी टूट गई। मुखबिर ने आगे आरोप लगाया कि आरोपी भगत यादव ने बंदूक से लैस होकर शंभू सिंह के सिर पर उक्त बंदूक के बट वाले हिस्से से हमला किया और आरोपी बनारसी यादव ने भाला से लैस होकर पारशनाथ सिंह के पैर पर उक्त भाला के लाठी वाले हिस्से से हमला किया और आरोपी/अपीलकर्ता भोला यादव और मोहन यादव, व्यास सिंह पर लाठी से हमला किया। मुखबिर ने आगे आरोप लगाया कि अन्य आरोपी व्यक्ति थे जो सौ संख्या में थे और बंदूक से लैस थे, उन्होंने पीड़ितों पर भी हमला किया और हुल्ले पर शारदा सिंह, सोमनुज शर्मा कार्यानंद शर्मा, राम बिलास सिंह, बासुल सिंह, बालकृष्ण

सिंह और कई अन्य ग्रामीण जो कथित घटना के गवाह थे, वहां आए और उन्हें बचा लिया।

5. सूचना देने वाले ने उपरोक्त आरोपों का वर्णन करते हुए एक लिखित आवेदन (प्रदर्श-1) दायर किया, जिसके आधार पर 2005 का लखीसराय (चानन) थाना मामला संख्या 261 दिनांक 19.08.2005 वाली औपचारिक प्रथम सूचना प्रतिवेदन भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,149,341,323,324,325,307 और 379 के तहत दर्ज की गई थी, जिसने आपराधिक कानून को गति दी।

6. जाँच पूरी होने के बाद अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।

7. अपीलार्थियों पर आई. पी. सी. की धारा 148,147,323,324,341 और 307 के साथ पठित धारा 149 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था।

8. अपीलार्थियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों से पूछताछ की जो इस प्रकार हैं:-

पीडब्लू-1:- नवल किशोर सिंह

पीडब्लू-2:- सलाई कुमार

पीडब्लू-3:- शंभू सिंह

पीडब्लू-4:- भूतकन सिंह उर्फ परमानंद सिंह

पीडब्लू-5:- व्यास सिंह

पीडब्लू-6:- परमहंस सिंह

पीडब्लू-7:- रघुनाथन सिंह उर्फ राघवेंद्र कुमार सिंह

पीडब्लू-8:- मुकेश कुमार (मुखबिर)

पीडब्लू-9:- डॉ. हिमकर

9. मौखिक साक्ष्य के अलावा अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजों को साबित किया और उन्हें निम्नानुसार प्रदर्शित किया:-

प्रदर्श-1:- एफ. आई. आर./प्रथम सूचना प्रतिवेदन पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर

प्रदर्श- 2,2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,2/6,2/7 और 2/8:- मुकेश कुमार, परमहंस सिंह, सलाई सिंह, भूतकन सिंह उर्फ परमानंद सिंह, नवल किशोर सिंह, शंभू सिंह, व्यास सिंह, रघुनाथन सिंह और रामबरन सिंह की चोटों की रिपोर्ट।

10. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के पूरा होने के बाद निचली अदालत द्वारा अपीलार्थियों के बयान दर्ज किए गए और उन्हें अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से उनके खिलाफ सामने आने वाले आपत्तिजनक साक्ष्य और परिस्थितियों को समझाने का अवसर दिया गया, जिसमें उन्होंने आपत्तिजनक साक्ष्य और परिस्थितियों को अस्वीकार कर दिया लेकिन उन्होंने अपने बयानों में कोई विशिष्ट बचाव नहीं किया।

11. अपीलार्थियों ने अपनी रक्षा में कोई सबूत नहीं दिया।

12. अपीलार्थियों को दोषी ठहराते समय विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य को घटना की तारीख, अपीलार्थियों/अभियुक्तों के उद्देश्य, हमले के तरीके और हथियारों के प्रकार के बिंदुओं पर सुसंगत माना और पीडब्लू-9 द्वारा दिए गए चिकित्सा साक्ष्य को साक्ष्य के एक पुष्टिकारक टुकड़े के रूप में ध्यान

में रखा और निचली अदालत के अनुसार, जिस तरह से अपीलार्थियों और अन्य लोगों द्वारा जान मारने के सामान्य उद्देश्य से पीड़ितों पर हमला किया गया था, वह अपीलार्थियों की ओर से स्पष्ट रूप से स्पष्ट था।

### अपीलार्थियों की ओर से तर्क:-

13. अपीलार्थी मोहन यादव और सोहन यादव की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री अंसुल ने समर्पित किया कि मुख्य अभियुक्त, प्रहलाद यादव, जिन्होंने अपीलार्थी और सह-अभियुक्त व्यक्तियों का नेतृत्व किया था, को पुलिस द्वारा नहीं भेजा गया था और प्राथमिकी के अंतिम पैराग्राफ में कई व्यक्तियों का विवरण है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे कथित घटना के गवाह थे, लेकिन उनमें से किसी को भी अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया और उनसे पूछताछ नहीं की गई और अभियोजन पक्ष के भौतिक गवाहों का ध्यान उनके पहले के बयान की ओर खींच गया जो जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा लिखित रूप में कम किए गए थे, उन्होंने सुधार किए जिन्हें आई. ओ. की गैर-जांच के कारण अभियोजन पक्ष द्वारा समझाया नहीं जा सकता था, जिसने अपीलार्थियों को गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित किया था। यह आगे तर्क दिया गया है कि घटना के तरीके और उत्पत्ति को देखते हुए दो समूहों के बीच एक सामान्य हाथापाई हुई होगी और यह सैकड़ों व्यक्तियों द्वारा नौ व्यक्तियों पर हमले का मामला नहीं था और सभी घायल व्यक्तियों को सतही चोटें आईं जो उन पर हमला करने में घातक हथियारों का उपयोग करने के आरोप को गलत साबित करता है। एफ. आई. आर./प्रथम सूचना प्रतिवदेन के अनुसार, अपीलार्थी प्यारेलाल यादव ने मुखबिर के सिर पर गरसा से हमला किया था, लेकिन उसके व्यक्ति पर लगी चोट को खोपड़ी पर घाव के रूप में देखा गया था। वे आगे समर्पित करते हैं कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने शुरू में आरोपी व्यक्तियों को हमलावरों के रूप में नामित नहीं किया था, लेकिन बाद में उन्होंने मुकदमे के दौरान

अपना नया बयान दिया और इसे उनके द्वारा दिए गए फैसले के संदर्भ में एक भौतिक सुधार के रूप में माना जाना चाहिए। तहसीलदार सिंह और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए.आई. आर 1959 एस.सी.1012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रविवेदित किय है आगे तर्क दिया गया कि थाना में सूचना प्राप्त करने के समय के बारे में प्राथमिकी में अधिलेखन है और घायल व्यक्तियों की जांच सरकारी डॉक्टर द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि कहा जाता है कि उनका इलाज एक निजी डॉक्टर पीडब्लू-9 द्वारा किया गया था, जिन्होंने उनकी चोट की रिपोर्ट जारी की और अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के अपराध करने के सामान्य उद्देश्य को साबित करने में विफल रहा और अभियोजन पक्ष के गवाहों का साक्ष्य अपीलार्थियों के कथित व्यक्तियों के कृत्यों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

14. अपीलार्थी हरिहर यादव और प्यारे यादव उर्फ प्यारेलाल यादव की ओर से पेश विद्वान वकील श्री अजय कुमार ठाकुर ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को दोषी ठहराते समय विद्वत विचारण अदालत ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि चिकित्सा साक्ष्य नेत्र साक्ष्य की पुष्टि नहीं करते हैं और अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, कथित घटना को सौ से अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किया गया था और अपीलार्थी, हरिहर यादव 80 वर्ष का है और अपीलार्थी प्यारेलाल यादव 84 वर्ष का है, इसलिए, उनके लिए कथित घटना में एक विशिष्ट भूमिका निभाना संभव नहीं था और आरोप के अनुसार दोनों अपीलार्थी तथाकथित घायल व्यक्तियों को गरसा प्रहार दिया गया लेकिन उनके व्यक्ति पर पाई गई चोटों को प्रकृति में सरल माना गया जो उक्त अपीलार्थियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं और घटना के समय, स्थान और तरीके के संबंध में पीडब्लू-1 से पीडब्लू-8 की गवाही के बीच गंभीर विरोधाभास हैं।

15. अपीलार्थी अरविंद यादव की ओर से पेश विद्वान वकील श्री करनदीप कुमार तर्क देते हैं कि विद्वत निचली अदालत पीडब्लू-8 के साक्ष्य की सराहना नहीं की, जो सूचना देने वाला होता है, सही तरीके से क्योंकि इस गवाह के अनुसार, दो सौ व्यक्तियों की भीड़ ने कथित घटना को अंजाम दिया, लेकिन कहा जाता है कि केवल बारह व्यक्तियों की पहचान सूचना देने वाले और अन्य गवाहों द्वारा की गई थी और उनमें से केवल पांच ने मुकदमे का सामना किया और इस अपीलार्थी के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया और मुख्य आरोपी प्रहलाद यादव, जो प्राथमिकी के अनुसार आदेश देने वाले थे, पर मुकदमा नहीं चलाया गया। विद्वान वकील आगे अन्य विद्वान वकीलों द्वारा समर्पित उपरोक्त तर्कों को अपनाता है।

16. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एपीपी/सहायक लोक अभियोजक ने इन अपीलों का जोरदार विरोध किया है और समर्पित किया है कि पीडब्लू-1 से पीडब्लू-8, जो अभियोजन पक्ष के भौतिक गवाह थे, ने अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से साबित किया और वे घटना के समय और तरीके के साथ-साथ अपीलकर्ताओं की पहचान और कथित घटना के करने में उनकी भूमिका के अनुरूप रहे और इन गवाहों ने उनकी भी पहचान की और घायल व्यक्तियों की जख्म प्रतिवेदन जो पीडब्लू-9 द्वारा साबित की गई थी, अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए काफी पुष्टि करने वाले सबूत हैं और निचली अदालत के निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए इन सभी अपीलों को खारिज करने योग्य है।

17. मुखबिर की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री सच्चिदानंद चौधरी ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू-1 से पीडब्लू-8 के साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय हैं क्योंकि वे घायल हैं और उन्होंने पूरी घटना देखी है और उनके बयानों के

बीच विरोधाभास मामूली और स्वाभाविक हैं। विद्वान वकील आगे समर्पित करते हैं कि पीडब्लू-9 का साक्ष्य, जिसने घायल व्यक्तियों की चिकित्सकीय जांच की, अपीलार्थियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि करता है और घटना के समय और तरीके के साथ-साथ पीड़ितों पर हमला करने में अपीलार्थियों द्वारा उपयोग किए गए हथियारों के बारे में पीडब्लू-1 से पीडब्लू-8 का साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय है, इसलिए कथित अपराधों के लिए उनकी सजा उचित है और उनकी अपीलों में कोई योग्यता नहीं है।

18. दोनों पक्षों को सुना और मामले के अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया और अपीलार्थियों के बयानों का भी अध्ययन किया।

19. तत्काल मामले में, सभी अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 147, 148, 323, 324, 341 और 307 के साथ पाठित धारा 149 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। अब इस न्यायालय को यह पता लगाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने इस आरोप को साबित करने में सफल रहा कि अपीलकर्ताओं ने घातक हथियारों के साथ एक गैरकानूनी सभा की और पीड़ितों को मारने के लिए एक सामान्य उद्देश्य था और यह भी पता लगाना है कि क्या अभियोजन पक्ष कथित अपीलार्थियों के व्यविकतगत कार्य को साबित करने में सफल रहा जिनके लिए उन्हें आई. पी. सी. की धारा 323, 324 और 341 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। आई. पी. सी. की धारा 147 और 148 के तहत दंडनीय अपराधों को आकर्षित करने के लिए अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए बाध्य है कि पांच या अधिक व्यक्तियों ने एक अपराध या कार्य करने के लिए एक सामान्य उद्देश्य के साथ एक सभा का गठन किया है जो आई. पी. सी. की धारा 141 में वर्णित पांच श्रेणियों में से कम से कम एक के दायरे में आता है और यदि ऐसी सभा या उसका कोई सदस्य ऐसी सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में घातक हथियारों के साथ बल या हिंसा का उपयोग करता है तो आई. पी. सी. की धारा

147 और 148 के तहत अपराध भी आकर्षित हो सकते हैं। यदि अभियोजन पक्ष ऐसी सभा के गठन को साबित करने में विफल रहता है या आई. पी. सी. की धारा 141 के तहत वर्णित किसी भी श्रेणी के तहत आने वाले विधानसभा के सामान्य उद्देश्य को साबित करने में विफल रहता है तो ऐसी स्थिति में ऐसी सभा के सदस्यों को केवल उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

20. वर्तमान मामले में, आरोप के अनुसार, मुखबिर सहित पीड़ित 19.08.2005 को देवी भगवती की पूजा करने के बाद जलप्पा नामक स्थान से लौट रहे थे और रास्ते में उन्होंने देखा कि आरोपी व्यक्ति जिनका नेतृत्व प्रहलाद यादव कर रहे थे, वे मोरे नदी के तट पर रेत से भरे बोरे डाल रहे थे और उसके बाद, अभियुक्तों ने उनसे उनके घर के बारे में पूछा और फिर मुखबिर और उसके साथी उन्हें बताया कि वे पूजा करने के बाद 'जलप्पा स्थल' से लौट रहे थे और उस रहस्योद्घाटन पर प्रहलाद यादव के उकसावे पर आरोपी व्यक्तियों ने पहले उनका पीछा किया और उसके बाद उन पर *लाठी*, *गरसा*, *पिस्तौल*, *भाला*, *बंदूक* आदि से हमला किया। इस कहानी से, यह स्पष्ट है कि आरोपी व्यक्ति कथित स्थान पर मोरे नदी के तट पर रेत से भरे बोरे डालने के लिए एकत्र हुए थे और उस समय तक उनका आईपीसी की धारा 141 की पांच श्रेणियों में वर्णित कोई अपराध या कार्य करने का कोई इरादा नहीं था और प्राथमिकी से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कथित घटना पल भर में हुई थी और घटना के तरीके से यह नहीं पता चलता है कि आरोपी ने अपराध करने के लिए मौके पर एक सामान्य वस्तु बनाई थी क्योंकि उन्होंने कथित रूप से प्रहलाद यादव द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते हुए कथित घटना को अंजाम दिया था। अतः, ऐसी स्थिति में अभियुक्तों/अपीलार्थियों को केवल उनके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए था। अब, मुझे यह देखना है कि क्या अभियोजन पक्ष के गवाहों का साक्ष्य अपीलार्थियों के व्यक्तिगत कृत्यों

को साबित करने और साबित करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय है, जिन पर प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है।

**अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य का विश्लेषण:-**

21. पीडब्लू-1, नवल किशोर सिंह ने अपदस्थ किया कि लगभग 100 से 150 व्यक्ति मोरबे नदी बालू से भरे बोरे डालकर एक तटबंध का निर्माण कर रहे थे। उक्त व्यक्तियों की संख्या के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों ने विरोधाभासी बयान दिए लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि घटना स्थल पर सौ से अधिक व्यक्ति मौजूद थे, इसलिए, इतनी बड़ी भीड़ की उपस्थिति में, पीड़ितों के लिए अपीलार्थियों के व्यक्तिगत कृत्यों पर ध्यान देना आसान नहीं था। पीडब्लू-1 ने बयान दिया कि आरोपी ने उन्हें घेर लिया और उसके बाद, हमला करना शुरू कर दिया और उस पर बंदूक के बट हिस्से से हमला किया गया और वह उसे देखकर हमलावर की पहचान कर सकता था। उन्होंने आगे कहा कि विश्वनाथ नाम के एक व्यक्ति ने उन पर हमला किया था, लेकिन प्राथमिकी के अनुसार, इस गवाह पर शिवनाथ यादव नाम के एक व्यक्ति ने हमला किया था। उन्होंने आगे जिरह में कहा कि भीड़ में से 50 लोगों के पास *भाला, गरसा और पिस्तौल* थी और 150 लोग रेत भर रहे थे। तदनुसार, इस गवाह का साक्ष्य अपीलार्थियों के व्यक्तिगत कृत्यों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है जो एफ. आई. आर./प्रथम सूचना प्रतिवेदन में सामने आए हैं।

22. पीडब्लू-2, सलाई कुमार ने मुख्य परीक्षा में कहा कि लगभग 100 से 125 लोग नदी पर एक तटबंध बना रहे थे और वे अभियुक्तों को देखकर भागने लगे लेकिन उन्हें '*सीतारामपुर बहियार*' स्थान पर घेर लिया गया और उसके बाद, अभियुक्तों ने *भाला, गरसा, लाठी और पिस्तौल* का उपयोग करके उन पर हमला करना शुरू कर दिया। जब गवाह से पूछताछ की जा रही थी, तो एक सह-दोषी मोहन यादव अदालत कक्ष

में मौजूद थे, लेकिन यह गवाह उसकी पहचान नहीं कर सका। गवाह ने अपने साक्ष्य में सभी अपीलार्थियों की विशिष्ट भूमिका या व्यक्तिगत कार्य का खुलासा नहीं किया।

23. पीडब्लू-3, शंभू सिंह ने अपदस्थ किया कि कथित घटना के समय 150 लोग नदी पर एक तटबंध बना रहे थे। हालाँकि, इस गवाह ने उन्हें देखकर अभियुक्त की पहचान करने में सक्षम होने का दावा किया और उन अभियुक्तों की भी पहचान की जो उसकी जाँच के समय अदालत कक्ष में मौजूद थे, लेकिन वह उक्त अभियुक्तों के नामों का खुलासा नहीं कर सका। उन्होंने जिरह में कहा कि उन पर खूँटी के नुकीले हिस्से से हमला किया गया और उनकी दाहिनी जाँघ में चोट लगी। गवाह ने किसी भी अपीलार्थी के नाम का खुलासा नहीं किया कि वह उस पर हमला करने में शामिल था और इस गवाह (प्रदर्श 2/6) की चोट की रिपोर्ट के अनुसार, उसे केवल अपनी बाईं और दाहिनी जाँघ पर चोट लगी थी जो कि संबंधित डॉक्टर द्वारा कठोर और कुंद वस्तु के कारण हुई थी। उक्त चिकित्सकीय राय हमले के कथित हथियार की पुष्टि नहीं करती है जिसका उपयोग आरोपी द्वारा उस पर हमला करने में किया गया था।

24. पीडब्लू-4, भूतकन सिंह उर्फ परमानंद सिंह ने मुख्य परीक्षण में गवाही दी कि उनके और अन्य घायल व्यक्तियों, नवल कुमार, रामबरन सिंह, मुकेश कुमार, शलिनंदर, व्यास सिंह और शंभू सिंह पर 50-100 व्यक्तियों द्वारा लाठी और पिस्तौल के बटभाग और बंदूक से हमला किया गया। जिरह में उन्होंने कहा कि वह उन लोगों की संख्या का खुलासा नहीं कर सकते जिन्होंने उन पर हमला किया था। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज किया था या नहीं। इसलिए, इस गवाह का साक्ष्य भी उपस्थिति के साथ-साथ अपीलार्थियों के व्यक्तिगत कृत्यों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिन पर प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है।

25. पीडब्लू-5, व्यास सिंह ने अपदस्थ किया कि 100-200 व्यक्ति प्रहलाद यादव नामक एक व्यक्ति के साथ मोर्बे नदी पर एक तटबंध बना रहे थे, लेकिन भीड़ बनाने वाले व्यक्तियों की संख्या जैसा कि इस गवाह ने खुलासा किया है, अन्य गवाहों द्वारा बताए गए आंकड़े के विपरीत है और यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, अभियुक्तों का नेतृत्व प्रहलाद यादव कर रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस द्वारा मुकदमे के लिए नहीं भेजा गया था। गवाह ने आगे कहा कि वह और अन्य आठ व्यक्ति अभियुक्तों से घिरे हुए थे और उसके बाद उन्होंने भाला, गरसा और पैना के माध्यम से उन पर हमला किया। गवाह ने जिरह में कहा कि उसने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज नहीं किया। तदनुसार, इस गवाह का साक्ष्य भी इस न्यायालय के विश्वास को प्रेरित नहीं करता है और उसका साक्ष्य अपीलार्थियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

26. पीडब्लू-6, परमहंस सिंह ने कहा कि उनकी जांच के समय अदालत कक्ष में मौजूद आरोपी व्यक्ति, उनके और अन्य लोगों पर हमला करने में शामिल थे, उनके अनुसार, अपीलार्थी हरिहर यादव उस समय अदालत कक्ष में मौजूद थे। उन्होंने जिरह में कहा कि भाला (भाला) के लाठी हिस्से ने उन पर हमला किया था। लेकिन उन्होंने अपने प्रतिपरीक्षणक पैराग्राफ संख्या-7 में आगे कहा कि वह उस अभियुक्त के बारे में खुलासा नहीं कर सका जिसने भाला के लाठी भाग से उस पर हमला किया था। इस गवाह का साक्ष्य विरोधाभासी है और सुसंगत नहीं है, इसलिए उसका साक्ष्य भी अपीलार्थियों के कथित कृत्यों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

27. पीडब्लू-7, रघुनाथन सिंह उर्फ राघवेंद्र कुमार सिंह ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया कि उन पर और एक सीताराम पर आरोपी द्वारा हमला किया गया था और गरसे के माध्यम से उनके सिर पर हमला किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि

अपीलकर्ता हरिहर यादव वह व्यक्ति था जिसने उन पर हमला किया था। उन्होंने पैराग्राफ संख्या '13' उसकी प्रतिपरीक्षा कि वह सह-अभियुक्त/अपीलार्थी के रूप में अपीलार्थी हरिहर यादव का नाम जानता था, अरविंद यादव उसे अपने नाम से बुला रहा था। चूंकि, माना जा सकता है कि कथित घटना को अंजाम देने में 100 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ शामिल थी, इसलिए केवल यह तथ्य कि एक सह-अभियुक्त अपीलार्थी हरिहर यादव का नाम ले रहा था, अपीलार्थी की पहचान का पर्याप्त श्रोत होना नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, उक्त गवाह की चोट रिपोर्ट के अनुसार उसके व्यक्ति पर चोट, दर्द और शरीर में दर्द के रूप में तीन चोटें पाई गईं और वही कठोर और कुंद वस्तु के कारण हुई थीं। उक्त चिकित्सकीय राय उस हथियार की प्रकृति की पुष्टि नहीं करती है जिसका कथित रूप से अपीलार्थी हरिहर यादव द्वारा इस गवाह पर हमला करने के लिए उपयोग किया गया था। इसलिए, इस गवाह का साक्ष्य भी अपीलार्थियों की उपस्थिति के साथ-साथ उनके विशिष्ट कथित कृत्यों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

28. पीडब्लू-8, मुकेश कुमार, जो इस मामले के मुखबिर हैं, ने बयान दिया कि अभियुक्तों ने पहले उनका पीछा करना शुरू किया और फिर उन्हें घेर लिया और उसके बाद उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता प्यारेलाल यादव ने उन पर हमला किया था, जिन्होंने *गरसे* के माध्यम से उनके सिर पर हमला किया था। उन्होंने जिरह में कहा कि कथित घटना में 200 लोग शामिल थे। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि वह 100 से 150 व्यक्तियों की भीड़ में से उस विशिष्ट व्यक्ति के नाम का खुलासा नहीं कर सके जिन्होंने विशिष्ट घायलों पर हमला किया था। इस गवाह की जखम प्रतिवेदन के अनुसार, उसकी खोपड़ी पर एक घाव हुआ और दूसरी चोट शरीर में दर्द के रूप में पाई गई। इस गवाह द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार, उस पर *गरसे* से हमला किया गया था। लेकिन हथियार की प्रकृति के संबंध में इस गवाह की जखम प्रतिवेदन से निकलने वाली चिकित्सा राय इस गवाह द्वारा लगाए गए आरोप

की पुष्टि नहीं करती है और इसके अलावा, इस गवाह के अनुसार, अपीलार्थी प्यारे यादव उर्फ प्यारे लाल यादव की आयु लगभग साठ वर्ष हो सकती है, लेकिन इस अपीलार्थी की आयु का खुलासा उनकी अपील में 84 वर्ष के रूप में किया गया है जब यह वर्ष 2019 में दायर की गई थी, इसलिए इस तथ्य को देखते हुए, कथित घटना के समय उनकी आयु लगभग 70 वर्ष हो सकती है और गवाह ने कहा कि वह 100 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ में से विशिष्ट व्यक्ति को नहीं बता सकता है जिन्होंने विशिष्ट घायल पर हमला किया था। इसलिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और साथ ही अपीलार्थी प्यारे यादव उर्फ प्यारे लाल यादव द्वारा कथित रूप से उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति और उक्त अपीलार्थी की उम्र के बारे में दिखाई देने वाले विरोधाभासों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि कथित घटना को अंजाम देने में 100 से अधिक व्यक्तियों की एक बड़ी भीड़ शामिल थी और यह गवाह हमलावरों की पहचान करने के लिए स्पष्ट स्थिति में नहीं था, अपीलार्थी प्यारे लाल यादव के कथित कार्य के संबंध में इस गवाह पर भरोसा करना उचित नहीं होगा। इसलिए, मुझे इस गवाह का साक्ष्य अपीलार्थियों के विशिष्ट कथित कृत्यों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं लगता है।

29. तत्काल मामले में कई लोगों को चोटें आईं लेकिन उनमें से किसी का भी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं किया गया बल्कि उनका इलाज एक निजी डॉक्टर द्वारा किया गया था जिसकी जांच पीडब्लू-9 के रूप में की गई थी और अभियोजन पक्ष ने इस कारण के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि घायल व्यक्तियों का सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं किया गया और यह तथ्य प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों में गंभीर संदेह पैदा करता है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष निचली अदालत के समक्ष जांच अधिकारी को पेश करने और उससे पूछताछ करने में विफल रहा, इसलिए अपीलकर्ताओं को प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों और अभियोजन पक्ष के भौतिक गवाहों के साक्ष्य के बीच सामने आए भौतिक विरोधाभासों के बारे में जांच अधिकारी से जिरह करने का मौका

नहीं मिल सकता था और इसने अपीलकर्ताओं को गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित किया और इसे अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक माना जा सकता है।

### निष्कर्ष:-

30. अभियोजन पक्ष के उपरोक्त चर्चा किए गए तथ्यों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय यह राय बनाता है कि यद्यपि अभियोजन पक्ष 100 से अधिक व्यक्तियों की एक बड़ी भीड़ द्वारा की गई मारपिट की घटना को साबित करने में सफल रहा, लेकिन उक्त भीड़ में कथित स्थान पर अपीलार्थियों की उपस्थिति को साबित करने में सफल नहीं हुआ और अपीलार्थियों के कथित व्यक्तिगत कृत्यों को भी साबित करने में सफल नहीं हुआ, जिन्हें विशेष रूप से सूचना देने वाले और इसके अलावा, कथित घटना पल भर में हुई जिसे मुखबिर द्वारा उनके खिलाफ जिम्मेदार ठहराया गया था। अतः सभी अपीलार्थी संदेह का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं और इस न्यायालय को कथित अपराधों के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री और सबूत नहीं मिलते हैं। इस प्रकार, जिस निर्णय और आदेश के द्वारा अपीलार्थियों को दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है, उसे एतद्वारा दरकिनार कर दिया जाता है और इन अपीलों को अनुमति दी जाती है।

31. सभी अपीलार्थी जमानत पर हैं, इसलिए, उन्हें और उनके प्रतिभूओं को उनके संबंधित बांडों से उत्पन्न होने वाली उनकी संबंधित देनदारियों से मुक्त कर दिया जाता है और जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं।

32. फैसले की प्रति तुरंत संबंधित विचारण न्यायालय आवश्यक अर्थ हेतु भेजी जाए।

33. एल. सी. आर. को तुरंत संबंधित निचली अदालत में वापस भेजा जाए।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

मायनाज़/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।